

2/3/21

पत्रावली पेश हुई। वादी अथवा
व्याजीगम की ओर से कोई उपस्थित
नहीं है। बार-बार आवाज लगाई
गई। बावजूद आवाज के भी कोई
हजरि नहीं आया। अन्तिम आवाज
न्यायालय न्यायालय परिसर के बाहर
साय 5.00 बजे लगाई गई। फिर
भी कोई हजरि नहीं आया।

अतः वाद वादी अद्व पुरकी अद्व
हजरि में खर्च विथा जाता है।
पत्रावली के लिये शुमार लेकर नम्बर दे
कम है दाखिल हल्लर है। निर्णय
सुले न्यायालय में सुनाया गया।

महाशय कलक्टर एवं न्यायाधीश
मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधीश